2005:CGHC:3840

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 1514/2002

याचिकाकर्ता : मेसर्स शिवम् मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर सी 4, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

विरुद्ध

उत्तरवादी : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, श्रम मंत्रालय,रायपुर,छत्तीसगढ़

2. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

3. साई शेख उर्फ़ शेख शहीद, पिता श्री शेख मजीद, निवासी बृहस्पति बाज़ार, चाटापारा, अखारा के पास, बिलासपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत

2005:CGHC:3840

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 1514/2002

मेसर्स शिवम् मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश के लिए नियत किया गया दिनांक 1 जुलाई 2005

हस्ता/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 1514/2002

मेसर्स शिवम् मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री एस. एम. मेन्दहेकर, अधिवक्ता, सह श्री जी. वी. कृष्णा राव, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्र. 1 की ओर से : श्री अरुण साव, शासकीय अधिवक्ता

उत्तरवादी क्र. 3 की ओर से : श्री मलय कुमार भादुडी, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(01/07/2005)

न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री द्वारा

1. यह वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत दायर की गई है, जो कि श्रम न्यायालय, बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 61/I.D.A./K-111-A/00 (निर्देश) में दिनांक 20/05/2002 को पारित निर्णय के विरुद्ध है, जिसके द्वारा श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने याचिकाकर्ता (द्वितीय पक्ष) को यह निर्देश दिया है कि वह उत्तरवादी क्रमांक 3 (प्रथम पक्ष) को यांत्रिक (मैकेनिक) के पद पर सेवा में दिनांक 31/08/1999 से पूर्ण पिछला वेतन तथा परिणामिक लाभ सहित पुनः स्थापित करे।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उत्तरवादी क्रमांक 3 के अनुसार, उसे याचिकाकर्ता द्वारा यांत्रिक (मैकेनिक) के पद पर उसकी कंपनी में दिनांक 01.07.1996 को नियुक्त/नियोजित

किया गया था। उसने याचिकाकर्ता कंपनी में एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों से अधिक तब तक जब उसकी सेवाएँ दिनांक 31.08.1999 को पूर्व सूचना के बिना मौखिक रूप से समाप्त कर दी गईं निरंतर कार्यरत रहा| सेवा में रहते हुए, उसे ₹1250/- प्रति माह वेतन मिल रहा था।

3. उत्तरवादी क्रमांक 3 ने अतिरिक्त श्रम आयुक्त के समक्ष सेवा समाप्ति की शिकायत प्रस्तुत की, जिसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे आगे 'अधिनियम 1947' कहा जाएगा) की धारा 25-एफ के प्रावधानों का पालन न करने का आरोप लगाया गया। सुलह प्रक्रिया विफल होने पर एक रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत किया गया। राज्य शासन ने दिनांक 21.08.2000 को अधिनियम 1947 की धारा 10(1) के अंतर्गत विवाद को श्रम न्यायालय को निर्देशित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्तरवादी क्रमांक 3 ने स्वयं को साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें उसने यह कथन दिया कि वह याचिकाकर्ता कंपनी में दिनांक 01/07/1996 से लेकर दिनांक 30/08/1999 तक यांत्रिक (मैकेनिक) के रूप में कार्यरत था। उत्तरवादी क्रमांक 3 ने आगे यह कथन दिया कि उसे कई बार अन्य शहरों में मरम्मत और सेवा कार्य हेतु भेजा गया तथा उस कार्य के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उसे पृथक से भुगतान किया गया। उसने यह भी कहा कि उसने एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों से अधिक कार्य किया है।

5. याचिकाकर्ता ने श्रम न्यायालय में लिखित कथन प्रस्तुत किया, जिसमें यह कहा गया कि उत्तरवादी क्रमांक 3 याचिकाकर्ता का नियमित कर्मचारी नहीं था। उसे कार्य की आवश्यकता के अनुसार 20 से 25 दिनों के लिए नियोजित किया गया था। चूँकि याचिकाकर्ता के पास उत्तरवादी क्रमांक 3 के लिए कोई कार्य नहीं था, अतः उसे सेवा में नहीं रखा गया।

6. श्री एन. डी. जोशी को नियोक्ता/याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत एवं परीक्षित किया गया। इस अनावेदक साक्षी ने अपने कथन में कहा कि उत्तरवादी क्रमांक 3 को आवश्यकता के आधार पर सेवा में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता के इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह

स्वीकार नहीं किया कि उसने कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिससे यह प्रदर्शित हो कि नियमित भुगतान किया गया था और उसका हस्ताक्षर लिया गया था ।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि श्रम न्यायालय ने यह निर्णय लिए बिना कि "क्या उत्तरवादी क्रमांक 3 याचिकाकर्ता कंपनी का "कामगार/कर्मचारी" अधिनियम 1947 की परिभाषा के अंतर्गत था या नहीं?", सीधे निर्णय पारित कर दिया। अपने इस तर्क के समर्थन में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *हिमांशु कुमार विद्यार्थी बनाम बिहार राज्य* 1997 (II) म.प्र. वीकली नोट्स (122) में पारित निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि कार्य की आवश्यकता के आधार पर कार्यरत अस्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्ति को अधिनियम 1947 की धारा 25-एफ के अंतर्गत "छंटनी" नहीं माना जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के *रेन्ज फॉरेस्ट ऑफिसर बनाम एस. टी. हदिमानी*, (2002) 3 एस.सी.सी. 25, में पारित निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसमें यह कहा गया कि यह कर्मकार (कामगार) की जिम्मेदारी है कि वह इस तथ्य को सिद्ध करे कि उसने एक कैलेंडर वर्ष में वास्तव में 240 दिन कार्य किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उत्तरवादी क्रमांक 3 ने 240 दिनों के वेतन अथवा मजदूरी की रसीदें या नियुक्ति का कोई अभिलेख प्रस्तुत कर यह सिद्ध नहीं किया कि उसने वास्तव में 240 दिन कार्य किया है।

9. उत्तरवादी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के दो निर्णयों पर भरोसा किया — *एच. डी. सिंह बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य*, ए.आई.आर. 1986 सु.को. 132 तथा *अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कॉरपोरेशन के श्रमिक बनाम अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कॉरपोरेशन के प्रबंधन*, ए.आई.आर. 1986 सु.को. 458, इन निर्णयों के समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कि यदि कोई कर्मचारी प्रति माह 20 - 25 दिन कार्य करता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि उसने पूर्ण माह कार्य

किया, क्योंकि रविवार तथा अन्य सवेतन अवकाशों को भी कार्य दिवसों की गणना में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

10.दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने एवं अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि इस बात का कोई कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि उत्तरवादी क्रमांक 3 नियमित रूप से कार्य कर रहा था, अर्थात उसने एक कैलेंडर वर्ष में अपनी नियुक्ति की तिथि से लेकर कथित मौखिक सेवा समाप्ति तक कुल 240 दिन कार्य किया था । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपयुक्त तथ्यों पर विचार किए बिना इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि उत्तरवादी क्रमांक 3 ने एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन कार्य किया है, आदेश पारित कर दिया। यह स्पष्ट है कि आक्षेपित अधिनिर्णय बिना प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच किये पारित किया गया है। चूँकि अधीनस्थ न्यायालय ने “नियोक्ता और कर्मचारी संबंध” तथा “एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन कार्य करने” के संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया, और इसके बावजूद उत्तरवादी क्रमांक 3 के पक्ष में पुनःस्थापन एवं पिछला वेतन भुगतान का अधिनिर्णय पारित किया गया, इसलिय यह अधिनिर्णय संधार्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11.ऐसा प्रतीत होता है कि आक्षेपित निर्णय के क्रियान्वयन पर कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने आक्षेपित अधिनिर्णय के अनुसार उत्तरवादी क्रमांक 3 को दिनांक 28/08/2003 के पत्र (अनुलग्नक पी/10) के माध्यम से पुनःस्थापना की पेशकश की थी, किंतु उक्त पेशकश को अस्वीकार कर दिया गया। उत्तरवादी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्कप्रस्तुत किया कि उक्त पेशकश इस कारण अस्वीकार की गई क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा पिछला वेतन का भुगतान नहीं किया गया था ।

12.प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों एवं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, याचिका स्वीकार की जाती है और प्रकरण को उसके मूल अभिलेख सहित विधि के अनुसार पुनः निराकरण हेतु श्रम न्यायालय, बिलासपुर को वापस भेजा जाता है। चूँकि यह मामला पुराना है तथा इसमें

एक कर्मचारी की सेवा समाप्ति का विवाद सम्मिलित है, अतः श्रम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की प्रति प्राप्ति की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर इस प्रकरण का निपटारा करे ।

हस्ता/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: नीलिमा सिंह ठाकुर, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur